

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक : 15 दिनांक : 15.12.2023

आयोग कार्यालय में मॉड्यूलर फर्नीचर क्रय करने के लिए प्रतिष्ठित डीलर्स / विकेताओं आदि से मॉड्यूलर फर्नीचर क्रय हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। क्रय किये जाने वाले मॉड्यूलर फर्नीचर का विवरण निम्नानुसार है :—

कार्य का विवरण	साक्षात्कार बोर्ड हेतु मॉड्यूलर फर्नीचर क्रय
अनुमानित मूल्य	15.00 লাভ্র
निविदा प्रतिभूति राशि	30,000 / — रूपये
ई निविदा प्रपत्र का मूल्य	500 रूपये एवं ई उपापन शुल्क 500 रू (RISL शुल्क)
ई निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि	27.12.2023 दोपहर 3.00 बजे तक
ई निविदा खोलने की तिथि	27.12.2023 सांय 4.00 बजे
निविदा अपलोड / प्रकाशित किये	
जाने की दिनांक :	

क्रय किये जाने वाले फर्नीचर का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. संख्या	सामग्री	अनुमानित मूल्य	निविदा प्रपत्र मूल्य	अमानत राशि	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि
1	Modular Furniture Roundad Table big size,Officer Revolving Chair Visitor Chair, Five Seater Sofa set & Center Table (According to attached Specification)	15.00 लाख	500 ∕ — रू.	30000 / — ক্ত.	दि. 27.12. 2023 दोपहर 3.00 बजे तक	दि. 27.12.2023 सायः 4.00 बजे तक

ई निविदा प्रपन्न एवं शर्तें e-proc.portal www.eproc.rajasthan.gov.in अथवा www. rpsc.rajasthan.gov.in एवं http:sppp.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट से डाउनलोड किये गए ई निविदा प्रपन्न शुल्क / निविदा प्रोसेसिंग शुल्क (RISL) एवं निविदा प्रतिभूति राशि तीनों एक ही चालान से जमा करा कर ई—ग्रास चालान की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

- निविदा दस्तावेज प्रपत्र शुल्क 500 / वित्त विभाग के पिरपत्र क्रमांक प—6(5) वित्त / सा.वि.ले.नि. / 2018 जयपुर दिनांक 27.04.2020 में वर्णित अनुसार ई—ग्रास सिस्टम के माध्यम से बजट मद 0075—800—52—01 में जमा कराकर चालान की प्रति संलग्न करावें।
- 2. ई उपापन शुल्क 500 / MD, RISL ई—ग्रास चालान द्वारा बजट मद 8658—00—102—(16)—(01) (सिविल विभग) में जमा करा चालान की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करे।
- 3. बोली प्रतिभूति राशि 2 % (निविदा मूल्य का) रू. 30,000/— वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प—6(5) वित्त / सा.वि.ले.नि. / 2018 जयपुर, दिनांक 27.04.2020 बजट मद 8443—00—103—00—00 में जमा कराकर चालान की प्रति संलग्न करावें। इसके अतिरिक्त किसी माध्यम से राशि स्वीकार नहीं की जायेगी एवं निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। आर.टी.टी.पी. नियम 42 के अनुसार राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में यह प्रदाय के लिये प्रदत्त मात्रा का 0.5% होगी।
- 4. इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता प्रपत्रों का इन्टरनेट साईट http://eproc.rajasthan.gov.in अथवा rpsc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
- 5. निविदा में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर कराना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फोरमेशन

टेक्नोलोजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा। जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सीसीए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं।

- 1. ऑनलाईन निविदाऐं निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोली जायेगी।
- 2. इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ लगा दी गयी हैं।
- 3. कोई भी निविदा इलेक्ट्रॉनिक जमा कराने में किसी कारण से विलम्बित हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार आयोग नहीं होगा।
- 4. निविदा के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करें।
- निविदा भरने की अंतिम दिनांक एवं समय का इंतजार नहीं करें।
- 6. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा नियम 2013 पूर्णतः लागू रहेगा।

उप सचिव

निविदा प्रपत्र क्रमांक 15 अन्तिम तिथि— 27.12.2023 (अपरान्ह 3.00 बजे तक) मूल्य (पाँच सौ रूपये मात्र)



राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

मॉड्युलर फर्नीचर क्य के लिए खुली निविदा प्रपत्र

1.	निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म /व्यक्ति का नाम व	पता		
	दूरभाष नम्बर ————————————————————————————————————			
	PAN No IFSC कोड - बैंक डिटेल्स के साक्ष्य के रूप में क्रॉस चैक / बैंक पास			
	GST Rno. –			
2.	जिसको सम्बोधित किया गया – सचिव, राजस्थान लोव	क्र सेवा आयोग,	अजमेर	
	सन्दर्भ – निविदा सूचना सं दिनांक ई निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि 500/– चालान नं. RISL ई–उपपान शुल्क 500/– चालान नं./CIN			
	एवं बोली प्रतिभूति राशि 30000/- चालान नं./CIN			
	जमा करा दी है।			
2.	उपरोक्त निविदा संख्यादिनांकके	द्वारा निम्नांकित	त दरें प्रस्तुत क	रता हूँ :–
			दर प्रति नग	
•	सामग्री का विवरण	मात्रा (अनुमानित)	समस्त कर सहित	समस्त कर सहित
•		(=13.111.141)		(शब्दो में)
	Supplying and placing Cross guard sortificed Madular		. ,	` ,

क्र. सं.	सामग्री का विवरण	मात्रा (अनुमानित)	दर प्रति नग समस्त कर सहित (अंको में)	दर प्रति नग समस्त कर सहित (शब्दो में)
1.	Supplying and placing Green guard certificed Modular Table for Interview - The table size-4400mm x 1700mm x 740mm as per approved layout, The Work Surface-Made of 25mm Thick with plastic ABS access flap is provided for easy access to wires and cables and understructure and modesty panels are all materisal made up with 18mm thick pre-laminated twin board of E1-P2 grade and approved shade conforming to IS-12823:1990, The PLT board have all edge banded with matching 2 mm thick PVC lipping. The aluminium alloy 63400 - WP profile is used for connecting panels together. The product has a knock-down construction. with powder coated accent metal strip provided below work surface and to enhance aesthetics and wire management - an array of part it is made of 0.8mm CRCA as per IS 513, epoxy polyester powder coated (DFT 40-60 microns) it is used for flow of wires and cables. Provision to mount Anchor Roma 6 module plate is provided below worktop. Cutout on top with two piece injection moulded plastic part polymer component is fitted to pull out audio, video cables onto worktop and connect devices charger to power socket below worktop. OEM Shall be mamber of IGBC and shall have ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, ISO 45000: 2015 and ISO 50001: 2018 Certification along with Greenguard Certification	06		

2.	Supplying and placing Green guard certificed 10-seater Conferance Table- The table size 3000 mm x 1150 mm x 740mm .Work Surface-Made of 25mm , understructure and modesty panels -it consist 18mm thick pre-laminated twin board of E1-P2 grade and approved shadeconforming to IS 12823:1990, All edge are banded with matching 2 mm thick PVC lipping with plastic ABS access flap is provided for easy access to wires and cables. The aluminium alloy 63400 - WP profile is used for connecting panels together. The product has a knock-down construction with powder coated accent metal strip provided below work surface to enhance aesthetics and wire management -An array of panels It is made of 0.8mm CRCA as per IS 513,epoxy polyester powder coated (DFT 40-60 microns).is used for flow of wires and cables. OEM Shall be mamber of IGBC and shall have ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, ISO 45000: 2015 and ISO 50001: 2018 Certification along with Greenguard Certification	02	
3.	Providing and placement Greenpro certified Revolving chair: The chair seat and back should be made up of 1.2 ±0.1cm. thick hot-pressed plywood and upholstered with fabric upholstery covers and moulded polyurethane foam. the back foam should be designed with contoured lumbar support for extra comfort. the seat has extra thick foam on front edge to give comfort to popliteal area. back size 47.5 cm. (w) x 58 cm (h)seat size 47.0 cm. (w) x 48.0 cm. (d) high resilience (hr) polyurethane foam: the hr polyurethane foam should be moulded with density = 45±2 kg/m3 and hardness load 16 ± 2 kgf for 25% compression. armrests: the one-piece armrests should be injection moulded from black co-polymer polypropylene. center tilt synchro mechanism: the mechanism should be designed with the following features , 360° revolving type and upright-position locking with tilt tension adjustment. The seat/back tilting ratio of 1:3 and pneumatic height adjustment: the pneumatic height adjustment has an adjustment stroke of 12.0 ±0.3cm.telescopic bellow assemblythe bellow should be 3 piece telescopic type and injection moulded in black polypropylene. The pedestal should be injection moulded in black 33% glass-filled nylon-66 and fitted with 5 nos. twin wheel castors. the pedestal should be injection moulded in black nylon. The Chair Seat Height - min 42.5 to max 54.5cm. OEM Shall be mamber of IGBC and shall have ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, ISO 45000: 2015 and ISO 50001: 2018 Certification along with Greenpro certification	44	
4.	Providing and placing a Greenpro certified visitor chair with armrest, the seat/back assembly: the seat and back should be made up of 1.2 ±0.1cm. thick hot-pressed plywood and upholstered with .fabric upholstery covers and moulded polyurethane foam. the back foam should be designed with contoured lumbar support for extra comfort. the seat has extra thick foam on front edge to give comfort to popliteal should be a. back size 47.5 cm. (w) x58.0 cm (h)seat size 47.0 cm. (w) x 48.0 cm. (d) .high resilience (hr) polyurethane foam: the hr polyurethane foam should be moulded with density = 45±2 kg/m3 and hardness load 16 ± 2 kgf for 25% compression. 3. 3.armrests: the one-piece armrests should be injection moulded from black co-polymer polypropylene. The understracture made with tubular frame with powder coated (dft 40-60 microns) tubular frame should be cantilever type & made of 0 2.54 ±0.03cm. x 0.2 ±0.016cm.thk. m.s. er.w. tube. OEM shall have ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 and ISO 50001:2018 certificate from The National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB) bodies	06	

5.	Propviding and placement Center /Coffee table- The table size-120cm x 60cm x 45cm, The table made up 1.8cm thick prelaminated engineered wood, it making it sturdy and durable, the top with glass and wood one top storage drawer, bottom deep open stoage shelf: the table lamination cover is treated by a proces of melanime impregnation, giving it superior abrasion and strain resistance. OEM Shall be mamber of IGBC and shall have ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, ISO 45000: 2015 and ISO 50001: 2018 Certification.	02	
6.	Providing and supply Sofa set 3+1+1:-1- seater overall Size: Width: 87.5cm Depth: 78cm Height: 81.5cm Seating Height: 38cmUpholstery and 3- Seater size-181m Depth: 78cm Height: 81.5cm Seating Height: 38cmUpholstery: Material: Material: PVC. Shade: Black, Thickness: 1 mm, Weight (GSM): 575, Tear strength (kg/5cm): wrap: 34.1 weft: 19.78, Breaking strength (Kg/cm2): wrap: 3.92 Kg weft: 2.59 Kg, Adhesion of coating kgf/5cm: warp: 3.05 Kg weft: 3.02 Kg, Colour Fastness to Rubbing (Dry/Wet) (scale 1-5): Dry = 3 Wet = 3 Frame: Material: Pine Wood, Moisture content: 10-12%, Thickness of Plywood used: 12 mm & 18 mmSeat Foam: Material: Slab stock, Density: 32 kg/m3 at seat and 28 kg/m3 at backWebbing: Material: Nylon Thickness: 2 mmLegs Material: PVC with 4 mm bush. OEM Shall be mamber of IGBC and shall have ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, ISO 45000: 2015 and ISO 50001: 2018 Certification.	02	

- 2. फर्म द्वारा आदेश प्राप्ति की दिनांक से आदेश में उल्लेखित अवधि में सामग्री की सुपुर्दगी (F.O.R.) आयोग कार्यालय में की जानी है ।
 - 3. आयोग कार्यालय की मांग अनुसार सामग्री एक साथ एवं समय समय पर आवश्यकतानुसार आपूर्ति की जानी है।
 - 4. क्य की जाने वाली सामग्री की मात्रा मांग अनुसार कम या ज्यादा की जा सकती है ।
 - 5. निविदादाता अपनी कोई शर्त अंकित नहीं करे। यदि शर्त अंकित की जाती है तो निविदा को अस्वीकृत करने / शर्त को अमान्य करने का अधिकार आयोग का होगा।

निविदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

निविदा एवं संविदा की शर्तें

टिप्पणी—निविदा दाता को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदा भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

अनिवार्य शर्ते

- 1 निविदादाता द्वारा पेन नम्बर प्रस्तुत किये जाने अनिवार्य हैं जिनके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 2 फर्म का टर्नऑवर गत दो वर्षों का 15 लाख प्रतिवर्ष होना चाहिए तथा फर्म के विगत दो वर्षों 2021–22 व 2022–23 के टर्नओवर के संबंध में चार्टेड एकाउटेण्ट का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- 3 निविदादाता फर्नीचर की दर के अतिरिक्त फर्नीचर की Brochure / रंगीन फोटोग्राफ (प्रत्येक आईटम के लिए 01) Specification भी प्रस्तुत करेगा। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 4 GST पंजीयन— कोई भी डीलर जहां उसका व्यवसाय स्थित है,यदि राज्य में प्रचलित GST कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है तो GST कर पंजीयन संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए , 0a i at h; u i æk.k i = dh i fr l yXu dh tkuh gkxhA जीएसटी भुगतान की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। आयोग द्वारा जीएसटी का पृथक से भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 5 विगत दो वर्षो 2021—22 व 2022—23 सरकारी संस्थानों, निगम, बोर्ड, शिक्षण संस्थाओं आदि का अनुभव प्रमाण पत्र या कार्योदेश की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी अनिवार्य है।
- 6 फर्नीचर मय सामग्री की कम से कम 3 वर्ष की वारन्टी होना अपेक्षित है।
- 7 उद्योग आधार मेमोरण्डम (UAM) की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 8 सभी शर्ते व ANNEXURE, हस्ताक्षर व मोहर सहित अनिवार्य रूप से निविदा के साथ संलग्न करने है।
- 09 निविदा अधिकृत निर्माता/वितरक/डीलर/विकेता आदि द्वारा ही प्रस्तुत की जानी है । आपूर्ति में प्रयुक्त सामग्री राष्ट्रीय स्तर के मार्का की होनी चाहिये।
- 10 निविदादाता को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार निविदा उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करनी चाहिए।
- 11 निविदा प्रारूप स्याही से भरा जाएगा या टंकण से भरा जायेगा । पेंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
- 12 दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियां (Errors) एवं / या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर कर फर्म सील / मोहर लगा किए जाने चाहिए। अंकों एवं शब्दों में अन्तर होने पर शब्दों में अंकित राशि मान्य होगी।
- 13 विधि मान्यता— निविदा, उनके खोले जाने के दिनांक से 90 दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
- 14 अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं के मापदण्डों,साइज,मेक आदि की सावधानीपूर्वक जांच करली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग,मापदण्ड आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो,तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे केता अधिकारी को भेजेगा तथा स्पष्टीकरण पान करेगा।
- 15 निविदादाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेंन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उप भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।
- 16 विशेष विवरण मापदण्ड
 - 1. प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित मापदण्ड ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी।
 - 2. आयोग का इस सम्बन्ध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएं मापदण्ड के अनुरूप हैं, किया गया निर्णय निविदादाताओं के लिए अन्तिम एवं मान्य होगा।
 - 3. वारंटी एवं गारंटी का खंड— निविदादाता यह गारन्टी देगा कि माल/स्टोर्स/वस्तुएं खरीदे जाने वाले उस माल/स्टोर्स/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेंगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हो एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया हो, यदि उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए हैं (तथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व परिणामी होगा), तो क्रेता उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाये जाएंगे, रदद करने के लिए अधिकृत होगा। ऐसे रदद किये जाने पर माल/स्टोर्स/वस्तुएं विकेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रदद करने से सम्बन्धित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया तो वह उस माल आदि को या उसके उस भाग को जिसे केता अधिकारी द्वारा रदद कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी क्षति के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।
- पर्म द्वारा आपूर्ति से पूर्व आयोग की क्रय समिति / उपापन कर्त्ता द्वारा माल का निरीक्षण व परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे वर्णित मापदण्डों के अनुरूप हैं या नहीं । तकनीकी रूप से मापदण्डों के अनुरूप ना पाये जाने पर आयोग निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र है । जहाँ आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों व तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जायेगा तथा परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगे ।

18 रद्द करना (Rejection) ≔

1. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा ।

- 2. तथापि,यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, पूर्ण या आंशिक रूप में उन वस्तुओं को बदलना साध्य (feasible) नहीं समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी।
- 19 रद्द की गयी वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 10 दिन के भीतर हटा लेगा। इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि,कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके मद्दे पर उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझें, बेचने का अधिकार होगा।
- 20 निविदादाता उचित पैंकिंग करने के लिए उत्तरदायों होगा ताकि समुद्र,रेल,सडक या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थित में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सकें। किसी प्रकार की हानि, क्षति टूटफूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी
- 21 प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल की आपूर्ति क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं की जाती हैं ,तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (Repudiate)कर सकता हैं। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
- 22 निविदादाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (disqualification) होगी ।
 - सुपुर्दगी अवधि : निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जाएगी, वह आपूर्ति आदेश की तारीख से आदेशानुसार अवधि के भीतर आपूर्ति करने की व्यवस्था करेगा :–
 - 1. <u>मात्रा की सीमा—आदेश को फिर से देना :—</u> यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता हैं तो निविदादाता अपेक्षित सप्लाई की पूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश (Repeat orders) भी निविदा में दी गयी शर्तो पर दिए जा सकेंगे, परन्तु शर्त यह कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप में (निविदा सूचना में दर्शित मात्रा) खरीदी गयी मात्रा की 50 प्रतिशत तक की सप्लाई के लिए ही होंगे यदि निविदादाता, ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता हैं तो केता अधिकारी अवशेष सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार के लिए स्वतन्त्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी निविदादाता से वसूली की जाएगी ।यदि केता अधिकारी किन्ही निविदा में अंकित वस्तुओं की खरीद नहीं करता हैं या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता हैं, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा ।
- 24 समस्त माल भाडा चुका कर भेजा जाएगा ।

23

- 25 करार एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति निक्षेप (Agreement and security deposit):-
 - 1. सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए बिड स्वीकार की गयी हैं, उनके मूल्य के 05 प्रतिशत के बराबर कार्य निष्पादन प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको बिड के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 07 दिन के भीतर जमा करायी जावेगी।
 - i. निदेशक, उघोग विभाग, राजस्थान के पास रिजस्ट्रीकृत लघु उद्योग इकाइयों को उन सामानों के सम्बन्ध में जिनके लिए वे रिजस्टर्ड हैं, उनके द्वारा निदेशक उद्योग से पंजीयन की विधिवत अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के आपूर्ति आदेश के मूल्य के 01 प्रतिशत की दर पर प्रतिभृति निक्षेप का भुगतान करेंगी।
 - ii. केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।
 - iii. रूग्ण इकाई हेत् प्रतिभूति राशि 02 प्रतिशत होगी।
 - 2. निविदा कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
 - 3. निविदा कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारन्टी / सावधि जमा (FDR) किसी भी रूप में जमा करायी जा सकती है।
 - 4. आर.टी.पी.पी. नियम 42(11)(a)(b)(c)(d)(e) के आधार पर निविदादाता की निविदा प्रतिभृति / अमानत राशि समपहृत की जा सकती है।
- 25 निविदा कार्य निष्पादन प्रतिभूति का समपहरण : बिड कार्य संपादन प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपह्नत किया जाएगा :—
 - 1 जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हों।
 - 2 जब बिडदाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढग से करने में असफल रहा हो
 - 3 निविदा प्रतिभूति राशि को समपह्नत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बिडदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रतिपडत (Counter foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी ।

26 भुगतान:

- 1 सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान बिडदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बिडदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।
- 2 विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में, राशि के 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर निर्णयानुसार भुगतान कर दिया जाएगा।
- 3 उन मामलों के सम्बन्ध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत हैं, भुगतान तभी किया जाएगा जब वे परीक्षण कर लिए जाएंगे तथा हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होगे।
- 27 निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सारांश रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता केता अधिकारी से आदेश के प्राप्त होने से निर्धारित अवधि के भीतर आपूर्ति करेगा।
- 28 <u>परिनिर्धारित क्षति (Liquidated damages):</u>— परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी निविदादाता आपूर्ति करने में असफल रहा हैं
 - 1 विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 **प्रतिशत**
 - 2 एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी से अनाधिक के लिए 5 प्रतिशत
 - 3 आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक के लिए 7.5 प्रतिशत
 - 4 विहत अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत
 - 5 विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जाएगा।
 - 6 परिनिर्धारित क्षित की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
 - 7 यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की आपूर्ति को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया हैं। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
 - 8 यदि माल की आपूर्ति करने में उत्पन्न हुई बांधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपूर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।
- 29 वसूलियां : परिनिर्धारित क्षयों, कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता हैं तो परिनिर्धारित क्षय (लिक्वीडेटेड डेमेज्स) के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध निवदा कार्य संपादन प्रतिभूति से की जाऐगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
- 30 यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा । किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लिखित न किया गया हो।
- 31 क्रेता अधिकारी किसी भी बिड को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बिड नहीं हैं, स्वीकार करने या बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा तथा न्यूनतम दर को स्वीकार करना बाध्यकारी नहीं होगा।
- 32 RTPP नियम 2013 29(2)(ज) के अनुसार दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खंड के अध्ययधीन होंगी।
- 33 निविदा प्रक्रिया के सम्बन्ध में किसी भी विवाद की स्थिति में प्रथम अपील **सचिव** एवं द्वितीय अपील अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग को की जा सकेगी।
- 34 समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा अजमेर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।
- 35 निविदादाता द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर फर्म की मोहर लगाया जाना आवश्यक है।
- 36 RTPP Act 2012 एव RTPP Rules 2013 के प्रावधान एवं निविदा प्रपन्न की शर्तों में भिन्नता होने पर RTPP नियम 2013 के प्रावधान एवं शर्तें मान्य होगें।
- 37 दरें **समस्त कर सहित** अंकित की जानी है। नियमानुसार लागू समस्त करों की कटौती आयोग द्वारा की जाएगी।
- 38 निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न Annexure A, B,C,D ,फार्म संख्या 01 ई निविदादाता का घोषणापत्र व ब्लैक लिस्ट नहीं होने का शपथ पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है। इनके अभाव में निविदादाता को अपात्र घोषित किया जा सकता है।
- मैंने सभी शर्तो का अध्ययन कर लिया है एवं उल्लेखित सभी शर्ते मुझे स्वीकार्य है।

ई-निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मै/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालो/स्टोर्स/उपकरणों के लिये बिड दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/सोल सेलिंग/विपणन एजेन्ट हूँ/है। (प्रति संलग्न)

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो कि की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी / हमारी कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से सम्पहृत कर लिया जाएगा तथा बिड को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जायेगा ।

ई-निविदादाता के हस्ताक्षर

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing and harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
 - a. have controlling partners/ shareholders in common; or
 - b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. have the same legal representative for purposes of the bid; or
 - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
 - f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in –charge / consultant for the contract.

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications **Declaration by the Bidder**

In relation to my/ our Bid submitted to	their NoticeI/we
6. I/we possess the necessary professional, technical, financial and	_
resources and competence required by the Bidding Document is	sued by the
Procuring Entity; 7. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes pay Union and the State Government or any local authority as specified Bidding Document;	
8. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not l	have my/our
business activities suspended and not the subject of legal proceeding	gs for any of
the foregoing reasons;	
9. I/we do not have, and our directors and officers not have, been any criminal offence related to my/our professional conduct or the	e making of
false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to procurement contract within a period of three years procumencement of this procurement process, or not have bee disqualified pursuant to debarment proceedings;	eceding the
10. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act. R Bidding Document, which materially affects fair competition;	ules and the
Date: Signature of le Place: Name:	oidder

Designation: Address:

Annexure C : Grievance Redressed during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is The designation and address of the Second Appellate Authority is

(1) Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specified ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of appeal

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.
- (6) Fee for filling appeal
- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.
- (7) Procedure for disposal of appeal
- (a) The First Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b)On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
- (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
 - (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
 - (d) The order passed under sub- clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1- Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- 1. if there is a discrepancy between the unit price and the total price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quaintly, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- 2. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- 3.if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (1) and (2) above.

if the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- 1.At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document . It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- 2.if the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- 3.In case of procurement of good of services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditional of the original order. However, the additional quantity—shall not be more than 25% of the value of Good of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred—shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

[See rule 83]

Name and address of the respondent(s): 2. (i) (ii) (iii) 3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved: 4. If the Applicant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative: 5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal: Grounds of appeal: 6.(Supported by an affidavit) 7. Prayer:

Appellant's signature

राजस्थान सरकार

^ ·	^ .
बिड क्रमांक	दिनाक :

शपथ-पत्र (कंपनी / फर्म / एजेन्सी के लेटर हेड पर)

मैसर्स (कंपनी / फर्म / एजेन्सी का नाम एवं पता)
शपथ पूर्वक निम्न घोषणा करता / करती हूँ कि :–
करता / करता हूं कि .— 1. बिड क्रमांकदिनांक में मेरे / हमारे द्वारा दी गई समस्त जानकारीयाँ / दस्तावेज पूर्णतया सही है तथा गलत पाए जाने पर इसकी जिम्मेदारी मेरी / हमारी रहेगी।
2. मेरे / हमारे द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरी / हमारी कंपनी / फर्म / एजेन्सी केन्द्र / राज्य सरकार अथवा किसी भी सरकारी / अर्द्वसरकारी विभाग / उपक्रम द्वारा Black Listed नहीं है।
हस्ताक्षर
नाम पद फर्म / कंपनी / एजेन्सी का नाम फर्म / कंपनी / एजेन्सी का पता